THE UTTAR PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS (PREVENTION OF DISSIPATION OF PROPERTIES) (TEMPORARY POWERS) (CONTINUANCE) ACT, 1970.

[U. P. Act No. 13 of 1970]

[**Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Hindu Sarvajanik Dharmik Sanstha (Sampatti Apavyaya Niwaran) (Asthai Adhikar) (Jari Rakhne Ka) Adhiniyam, 1970*].

AN

ACT

further to extend the life of the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) Act, 1962.

It is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) (Continuance) Act, 1970.

Amendment of section 1 of the U. P. Act no. XXII of 1962.

2. In sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) Act, 1962, for the words "six years", the words "eight years" shall be *substituted*.

Repeal of President's Act no. 36 of 1968.

3. The Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) (Continuance) Act, 1968 is hereby repealed.

(*For statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 7, 1969.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 3, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 11, 1970).

(Received the Assent of the President on April 7, 1970, under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 8, 1970).

PSUP—A. P. 65 Genl. (Leg.)—1970. 1,848 (M.) Price 05 Paise.

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1970)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 3 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

("भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 7 अप्रैल, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 8 अप्रैल, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या 22, 1962

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 की अवधि को और बढ़ाने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1962 की धारा 1 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 की धारा 1 की उपधारा (3) में शब्द "छः वर्ष" के स्थान पर शब्द "आठ वर्ष" रख दिए जाएं।

राष्ट्रपति अधि-नियम संख्या 36, 1968 का निरसन

3—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1968, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 7 अगस्त, 1969 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६४ जनरल (लेग०)—१९७०—१,८३० (मे०)।